



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14032020-218681
CG-DL-E-14032020-218681

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 118]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 13, 2020/फाल्गुन 23, 1941

No. 118]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 13, 2020/PHALGUNA 23, 1941

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड

(आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 मार्च, 2020

सं. ए-12011/4/2017-स्था.—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 (1985 का 2) की धारा 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा सं.ए-12011/1/2005-स्था. दिनांक 25 अक्टूबर, 2006 के द्वारा प्रकाशित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड भर्ती एवं प्रोन्नति नियमों, 2006 के क्रम में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, सहायक निदेशक (वित्त), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के पद हेतु प्रासंगिक भर्ती नियमों में निम्नलिखित संशोधन करता है, यथा:-

1. लघु शीर्ष और प्रारंभ -

- इन नियमों को 'राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड भर्ती एवं प्रोन्नति (संशोधित) विनियम 2017' कहा जा सकता है।
- शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से ये संशोधन प्रवृत्त माने जाएंगे।

2. अधिसूचना सं.ए-12011/1/2005-स्था. दिनांक 25 अक्टूबर, 2006 में खंड 14.2 के बाद दी गई तालिका में सहायक निदेशक (वित्त) के एक पद हेतु भर्ती की विधि को निम्नलिखित अनुसूची से प्रतिस्थापित किया जाता है:-

सहायक निदेशक (वित्त)**अनुसूची**

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनबैंड एवं ग्रेड पे/वेतनमान	चयनित या गैर-चयनित पद	सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा
1	2	3	4	5	6
सहायक निदेशक (वित्त)	दो	समूह 'ख'	पे मैट्रिक्स में लेवल-8 (□47,600-1,51,100) 7वें सीपीसी के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं

सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शिक्षा और अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यता प्रमोटी के मामले में लागू होगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि हो तो	भर्ती का तरीका: सीधी भर्ती या पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ समामेलन और विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत
7	8	9	10
लागू नहीं	लागू नहीं	2 वर्ष	पदोन्नति द्वारा

पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ समामेलन द्वारा भर्ती के मामले में, जिन पदों से पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ समामेलन किया जाना है	यदि विभागीय पदोन्नति समिति है, तो इसकी संरचना क्या है	किन परिस्थितियों में भर्ती हेतु यूपीएससी की सलाह ली जाएगी
11	12	13
पदोन्नति: विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिशों पर लेखा सहायक/सहायक ग्रेड-I के मध्य से पदोन्नति, जिन्होंने कम से कम 8 वर्ष की नियमित सेवा प्रदान की हो; जिसके न होने पर चयन समिति की सिफारिशों पर लेखा सहायक/सहायक ग्रेड-I और आशुलिपिक 'ग', जिन्होंने कम से कम 5 वर्ष की नियमित सेवा प्रदान की हो, के मध्य विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से पदोन्नति नोट-1 विभागीय प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग और सरकारी नियम और विनियम आदि पर आधारित होगा। नोट-2 कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, पी.जी. और पेंशन मंत्रालय, के आदेश 21/36/03-CS1, दिनांक 13-11-03 के अनुसार सहायक निदेशक (वित्त) वेतन स्तर-8 (□47600-151100) में अनुमोदित सेवा के चार वर्ष पूरे होने के बाद 7वें सीपीसी पे मैट्रिक्स में गैर-कार्यात्मक वेतनमान स्तर-10 (□56100-177500) के लिए पात्र हैं। (प्रतिलिपि अनुलग्नक-सी पर संलग्न)। इसे दिनांक 3.3.1986 की अधिसूचना सं सी-11031/1/86-रा.रा.क्षे.यो.बो., के द्वारा अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन और भत्ते शीर्ष के अधीन विनियम 3 के अंतर्गत रा.रा.क्षे.यो.बो. विनियम, 1986 के अनुसरण में अंगीकार किया गया है। बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों के मकान किराया भत्ता को छोड़कर केंद्रीय सरकार के उसी स्तर के कर्मचारियों के लिए निर्धारित सभी अन्य भत्तों के समान होंगे (प्रतिलिपि अनुलग्नक - डी पर)।	सक्षम अधिकारी द्वारा समय समय पर निर्धारित किए अनुसार चयन समिति/ डीपीसी की सिफारिशों के आधार पर बोर्ड के सदस्य सचिव द्वारा चयन व नियुक्ति की जाएगी।	--

अर्चना अग्रवाल, सदस्य सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./504/19]

NATIONAL CAPITAL REGION PLANNING BOARD**(Ministry of Housing and Urban Affairs)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 13th March, 2020

No. A-12011/4/2017-Estt.—In exercise of the powers conferred by Section 37 of the National Capital Region Planning Board Act, 1985 (2 of 1985) and in continuation of the National Capital Region Planning Board Recruitment & Promotion Rules, 2006 published vide No.A-12011/1/2005-Estt. dated 25th October, 2006, the NCR Planning Board hereby makes the following amendments in the method of recruitment to the post of **Assistant Director (Finance)**, National Capital Region Planning Board namely:-

1. Short title and commencement-

- i. These regulations may be called the “National Capital Region Planning Board Recruitment & Promotion (Amendment) Regulations, 2017”.
- ii. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Notifications No.A-12011/1/2005-Estt. dated 25th October, 2006, the tables in respect of the post of **Assistant Director (Finance)** given after the clause 14.2 of the Notifications, is substituted with the following Schedules:-

Assistant Director (Finance):-**SCHEDULE**

Name of Post	No. of Posts	Classification	Pay Band and Grade Pay/Pay Scale	Whether Selection Post or non-Selection post	Age limit for direct recruits	Education and other qualifications required for direct recruits.
1	2	3	4	5	6	7
Assistant Director (Finance)	Two	Group ‘B’	Level-8 (Rs. 47600-Rs. 151100) in Pay Matrix as per 7 th CPC	Not applicable	Not applicable	Not applicable

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Promotees	Period of Probation, if any.	Method of recruitment: Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ transfer & percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/ absorption grades from which promotion/ deputation/absorption to be made
8	9	10	11
Not applicable	2 years	By Promotion	Promotion: Promotion from amongst Accounts Assistant/ Assistant Grade-I, who have rendered not less than 8 years regular service on the recommendations of the Departmental Promotion Committee failing which by way of departmental competitive examination from amongst Accounts Assistant/Assistant Grade-I and Steno Grade ‘C’ who have rendered not less than 5 years regular service on the recommendations of the Selection Committee.

			Note-1 The departmental competitive examination will be conducted in noting and drafting and Govt. Rules and Regulations etc. Note-2 Assistant Director (Finance) are eligible for non-functional pay scale Level-10 (Rs.56100-177500) in Pay Matrix as per 7th CPC after completion of four years of approved service in the pay Level-8 (Rs.47600-151100) in Pay Matrix as per 7th CPC as per M/o Personnel, P.G. and Pensions, Department of Personnel and Training Order No.21/36/03-CS1, dated 13-11-2003. (copy enclosed at Annexure-C). This has been adopted in pursuance of the NCRPB Regulations 1986 vide Notification No.C-11031/1/86-NCRPB, dated 3-3-1986, under Regulation 3 under the heading 'Salaries and allowances of officers and employees'. The pay and all other allowances except House Rent Allowance of officers and employees of the Board shall be the same as those prescribed by the Central Government for its employees of similar status (copy enclosed at Annexure-D)
--	--	--	---

If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
12	13
Selection and appointment to the post will be made by the Member Secretary of the Board on the basis of the recommendation of Selection Committee/Departmental Promotion Committee as may be prescribed by the Competent Authority from time to time.	--

ARCHANA AGRAWAL, Member Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./504/19]